

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/62
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00055
CICOM/R/2018/00091

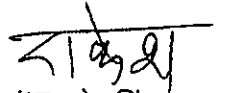
दिनांक: 14.03.2018

अपीलकर्ता : श्री मंशाराम वर्मा (मंशु भाई),
एम.पी.आर्गेनाइजेशन कार्यालय
(ए.जी. कम्पटीशन क्लोसेज),
वाकर गंज, मायाबाजार, जिला - फैजाबाद,
उत्तर प्रदेश - 224161.
मो0 - 9795005126.

निर्णय की तारीख: 14.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	07.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	66/19.02.2018 (110690/16.02.2018)

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना सूचना मांगी गई थी कि "महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली क्यों मारी", जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने अनुरोध किया है कि उन्हें सूचना देने की कृपा की जाए।
- संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

